



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-138

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 281786 दिनांक 11/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ramdayal Sharma S/o Papieya	श्री बाबू लाल चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण राम चौधरी	103	200.00 SQ. YARD	Private	KRISHNA SAGAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	आवेदक श्री रामदयाल शर्मा पुत्र श्री पपैया राम शर्मा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना कृष्णा सागर के भूखण्ड संख्या 103 क्षेत्रफल 200 व0ग0 का भूखण्ड संख्या 103 (नोर्थ पार्ट) क्षेत्रफल 100 व0ग0 में उपविभाजन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना कृष्णा सागर के भूखण्ड संख्या 103 क्षेत्रफल 200 व0ग0 का पट्टा श्री बाबू लाल चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण राम चौधरी के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

भूखण्ड सम्पूर्ण का बैचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2010 को श्री सियाराम शर्मा पुत्र श्री पपैया राम शर्मा को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 103 क्षेत्रफल 200 व0ग0 में से भूखण्ड संख्या 103 (नोर्थ पार्ट) क्षेत्रफल 100 व0ग0 का बैचान जरिये रजि0 उपहार पत्र दिनांक 09.12.2025 को आवेदक श्री रामदयाल शर्मा पुत्र श्री पपैया राम शर्मा को किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ramdayal Sharma S/o Papiya को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिपाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

